

प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2026, थाना कर्नलगंज

जनपद गोण्डा

थाना कर्नलगंज पुलिस व SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में लूट की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल सहित कुल 03 बदमाश गिरफ्तार कब्जे से एक अवैध तमंचा मय कारतूस, लूट के आभूषण (पीली व सफ़ेद धातु के), पीटू बैग, 6900 नगद व पल्सर मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट की)

बरामद

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावच्या के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0-238/2026 धारा- 309(4), 351(3), 352, 317(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 शातिर लुटेरा 1. बृजेश शुक्ला पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार समेत कुल 03 अभियुक्तों 02. अमर शुक्ला उर्फ नन्के, 03. बाबूराम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गये सोने व चांदी के आभूषण, ₹6900 नगद, लूट का एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन, वादी का आर्मी कलर का बैग (जिसमें वादी का आधार कार्ड), तथा एक बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल व 01 अदद अवैध तमंचा(315 बोर), 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्रांतर्गत राजन सोनी पुत्र सीताराम सोनी निवासी सदर बाजार द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 28/04/2026 को समय करीब प्रातः 09:00 बजे वह अपने घर से बाइक पैशन प्रो से पिट्टू बैग लेकर अपनी दुकान, सम्मयस्थान चौराहा नारायणपुर माझा जा रहा था। रास्ते में खाटू श्याम मंदिर के मोड़ के आगे पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे असलहा दिखाकर रोक लिया तथा उसके पास मौजूद बैग, जिसमें सोने-चांदी के आभूषण एवं नकद धनराशि थी, छीनकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा पीछा करने पर उक्त व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रकरण के संबंध में तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0 238/26, धारा 309(4), 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत 03 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु एसओजी/सर्विलांस सहित कुल 05 टीमों का गठन किया गया था उक्त टीमों द्वारा घटना स्थल के लगभग 75 किलोमीटर के दायरे में करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। जांच के दौरान प्राप्त मैनुअल व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित किया गया।

दिनांक 04.05.2026 की देर रात्रि को थाना कर्नलगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम घटना के सफल अनावरण के क्रम में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि खाटू श्याम मन्दिर मोड़ के पास लूट की घटना कारित करने वाले शातिर बदमाश नारायणपुर मांझा क्रासिंग से पहले खड़े हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर घेराबन्दी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया जिसपर बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश 1. बृजेश शुक्ला पुत्र काशीनाथ शुक्ला के पैर में गोली लगी। इसी दौरान उसके 01 अन्य साथी अभियुक्त 2. अमर शुक्ला उर्फ नन्के पुत्र रामसुहावन द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस बल द्वारा तत्परता से घेराबन्दी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त बृजेश शुक्ला को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी कर्नलगंज ले जाया गया। जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला अस्पताल गोण्डा मे घायल अभियुक्त को भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये आभूषण सफेद धातु (पायल, बिछिया, चैन, ब्रेसलेट), पीली धातु (ओम लॉकेट, नथिया, कील), ₹5200 नगद, लूट का एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन, वादी का आर्मी कलर का बैग (जिसमें वादी का आधार कार्ड), तथा एक

बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल व 01 अदद अवैध तमंचा(315 बोर), 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया।

आज दिनांक 05.05.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलास टीम द्वारा उक्त गिरोह के एक अन्य वांछित सदस्य बाबूराम पुत्र रामबहादुर को गोण्डा -लखनऊ मार्ग के मण्डी मोड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का रू0 1700/- बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- घटना के सफल अनावरण व लूट की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/माल बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/- रूपये के नगद परस्कार से परस्कृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर लूट की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। तथा घटना से पहले इनके सहयोगीयों द्वारा स्थानों और व्यक्तियों की रेकी करते है। दिनांक 28.04.2026 को इन्होंने एक व्यक्ति को, जो अपनी मोटरसाइकिल से पिट्टू बैग लेकर नारायणपुर माझा जा रहा था, खाटू श्याम मंदिर के पास पुलिया के आगे रोक लिया। असलहा दिखाकर उसका बैग, जिसमें सोने-चांदी के आभूषण व नकद पैसा था, छीनकर फरार हो गए थे। तथा इसी गिरोह के सदस्यों द्वारा दिनांक 13.04.2026 को जनपद बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्रान्तर्गत एक सर्राफा व्यापारी से लूटी की घटना कारित की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. बृजेश शुक्ला पुत्र काशीनाथ शुक्ला निवासी ग्राम बेहडा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।(पुलिस मुठभेड़ में घायल)
02. अमर शुक्ला उर्फ नन्के पुत्र रामसुहावन निवासी पिपरी मांझा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. बाबूराम पुत्र रामबहादुर निवासी मनोहरजोत, थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-238/2026 धारा- 309(4), 351(3), 352, 317(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0- 98/2026, धारा 304(2), 317(2) थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 255/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज नपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. पायल (सफेद धातु)
02. बिछिया (सफेद धातु)
03. चैन (सफेद धातु)
04. ब्रेसलेट (सफेद धातु)
05. ॐ लाकेट (पीली धातु)
06. नाथिया (पीली धातु)
07. कील (पीली धातु)
08. रू0 6900/- रूपये नगद।
09. आर्मी कलर का बैग जिसमें वादी का आधार कार्ड।
10. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

11. 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर गाडी बिना नम्बर प्लेट।

12. 01 अदद एंड्राइड मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास बृजेश शुक्ला पुत्र काशीनाथ शुक्ला

01. मु0अ0स0-436/2013, धारा 363, 366 भादवि थाना हावड़ा कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री नरेन्द्र राय प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज
02. उ0नि0 अच्छे कुमार मिश्रा थाना कर्नलगंज
03. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह थाना कर्नलगंज
04. उ0नि0 शशांक मौर्या थाना कर्नलगंज
05. उ0नि0 शरद कुमार थाना कर्नलगंज
06. हे0का0 दीपक मिश्रा थाना कर्नलगंज
07. हे0का0 वकील सिंह थाना कर्नलगंज
08. हे0का0 अमित पाठक- एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
09. हे0का0 रणधीर- एस0ओ0जी0
10. हे0का0 अरूण यादव- एस0ओ0जी0
11. हे0 का0 लोकेश नागर- एस0ओ0जी0
12. हे0का0 राशिद अली- एस0ओ0जी0
13. हे0का0 बिरजू- एस0ओ0जी0
14. हे0का0 श्याम नारायन- एस0ओ0जी0
15. का0 अनुराग पटेल- एस0ओ0जी0
16. हे0का0 रवि यादव- एस0ओ0जी0

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2026, थाना -कटराबाजार

जनपद- गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेश तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी ग्राम पिपरी मांझा थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा को राजगढ ब्रह्मचारी बाबा स्थान के निकट छोटी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.05.2026 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 शुभम दूबे मय हमराह पुलिस बल के साथ तलाश वांछित अभि0/ संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। दौरान गश्त मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त उमेश तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी ग्राम पिपरी मांझा थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा को राजगढ ब्रह्मचारी बाबा स्थान के निकट छोटी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उमेश तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी ग्राम पिपरी मांझा थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-102/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शुभम दूबे
02. का0 संजीत कुमार
03. का0 एसपी राहुल

मीडिया सेल, गोण्डा।